

Order sheet [Contd]

case No. CLAME 28 / 2017

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10.02.2018	<p>प्रकरण क्रमांक-28/17 कैलाश मण्डेलिया विरुद्ध सतीश दुबे एवं अन्य प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक कैलाश मण्डेलिया सहित श्री जी0एस0 निगम अधिवक्ता उप0 ।</p> <p>अनावेदक क्रमांक 1, 3, व 4 अनिर्वाहित ।</p> <p>अनावेदक क्रमांक 2 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय ।</p> <p>अनावेदक क्रमांक 5 बीमा कम्पनी द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता उप0 ।</p> <p>अनावेदक क्र0-5 की ओर से श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में अनावेदक क्र0-5 की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं। उन्हें अनावेदक क्र0-5 के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये। आवेदक को श्री जी0एस0 निगम अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया।</p> <p>बीमा कंपनी चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता के द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किये गये।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि बीमा कम्पनी दुर्घटना में आवेदक कैलाश मण्डेलिया को आई चोटों के लिये आवेदक को राशि रुपये 95,000 /- (पिन्ध्यानवे हजार) रुपये अदा करेगी तथा अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 के विरुद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे।</p> <p>उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया। राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <p>1. अना.क्र.-05 बीमा कंपनी दुर्घटना में आवेदक कैलाश मण्डेलिया को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदक को राशि रुपये 95,000 /- (पिन्ध्यानवे हजार) रुपये दो माह की अवधि में अदा करें। विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadars where necessary
	<p>2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 95,000 /—(पिन्च्यानवे हजार) रुपये आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।</p> <p>3. अनावदेक क्रमांक 01 लगायत 04 के संबंध में दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है।</p> <p>4- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे।</p> <p>5. अधिवक्ता शुल्क 1,000 /—रुपये लगाया जावे। प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(रविरमन वाजपेयी) (मुकेश कुशवाह) (मोहम्मद अजहर) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खण्डपीठ क्र. 19</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)